मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक एफ 11-7/2011/नियम/चार

भोपाल, दिनांक 2 दिसम्बर 2011

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश.

विषय.—शासकीय सेवकों को स्वीकृत अग्रिम के समायोजन विलम्ब से कराये जाने के संबंध में.

मध्यप्रदेश वित्त संहिता भाग-1 के नियम 9 एवं मध्यप्रदेश कोषालय संहिता भाग-1 के नियम-7 एवं सहायक नियम 284 में स्पष्ट प्रावधान है कि कोई भी राशि कोषालय से तब तक आहरित नहीं की जायेगी जब तक कि तत्काल वितरण की जाना अपेक्षित न हो. मांग की प्रत्याशा में बजट अनुदानों को व्यपगत होनें से बचाने हेतु कोषालय से पेशगी निकलना गंभीर वित्तीय अनियमितता है.

2. संचित निधि से राशि आहरित कर शासकीय सेवकों को विभागीय कार्य सम्पादन, यात्रा व्यय आदि के लिये अग्रिम प्रदान किये जा रहे हैं. यह तथ्य ध्यान में आया है कि उक्त अग्रिमों का समायोजन नियत तिथि तक नहीं कराया जा रहा है जिस कारण शासकीय धनराशि संबंधित के पास वर्षों तक लंबित रहती है.

3. अतः विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है कि ऐसी राशि जो विभाग द्वारा शासन के पक्ष में प्राप्त की गई हो एवं जो संचित निधि में जमा कराने योग्य हो, तुरंत शासन के पक्ष में जमा की जाना चाहिये. संचित निधि से आहरण उपरांत अनुपयोगी रखी कोई राशि, शासकीय सेवकों के प्रदाय अग्रिम को असमायोजित राशि, यदि 15 दिवस से अधिक संचित निधि से बाहर रखी गई हो तो उस पर सामान्य भविष्य निधि की दर +3% की दर से ब्याज की वसूली संबंधित उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी से की जावेगी. 3 माह के पश्चात् भी शासकीय धनराशि संचित निधि से बाहर रहने पर अतिरिक्त रूप से 3% की दर से दण्डात्मक ब्याज देय होगा.

4. उक्त कृत्य आचरण नियम के विरुद्ध होने के कारण संबंधित शासकीय सेवक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही भी की जा सकती है. अतः अनुरोध है कि इन निर्देशों का पालन करने हेतु अधीनस्थों को समुचित निर्देश जारी करने का कष्ट करें.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

हस्ता./-
(एस. एन. मिश्रा)
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग.